(59)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
03/2019/प्रा.पत्र/2019	11.01.2019	04.06.2019

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री शिखर चन्द जैन पुत्र सूरज मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी प्लाट नं0 19 ज्योति कॉलोनी उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0
2– मैसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज0
3–श्री भगवान दास हरवानी पुत्र रामचन्द्र हरवानी प्रोपरायटर मैसर्स पार्वती ऑयल मील पडाव अजमेर निवासी 1, मॉ पार्वती विला, रेलवे मेन्स कॉलोनी अजय नगर सोमलपुर रोड अजमेर राज0
4– मैसर्स पार्वती ऑयल मील पडाव अजमेर

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 04.06.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.09.2018 को समय सांय 2.21 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से शिखर चन्द जैन पुत्र सूरज मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी प्लाट नं0 19 ज्योति कॉलोनी उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **मूंगफली तेल श्री पार्वती स्वास्तिक मूल पैक (Groundnut Oil Shri Parwati Swastik Origional Pack)** जिसके बैच नं. 06 एंव पैकिग दिनांक 06/2018 थी रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर एफ.बी.ओ. श्री शिखर चंद जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता शिखर चन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में **मूंगफली तेल श्री पार्वती स्वास्तिक मूल पैक (Groundnut Oil Shri Parwati Swastik Origional Pack)** के 910–910 ग्राम की 16 सील्ड पैक प्लास्टिक बोतल मे से 4 सील पैक प्लास्टिक बोतलो 910–910 ग्राम का चयन किया वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से **मूंगफली तेल श्री पार्वती स्वास्तिक मूल पैक (Groundnut Oil Shri Parwati Swastik Origional Pack)** वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री शिखर चंद जैन को रू0 332/–अक्षरे तीन सो बत्तीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

823

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मूंगफली तेल श्री पार्वती स्वास्तिक मूल पैक**(**Groundnut Oil Shri Parwati Swastik Origional Pack**) 910–910 ग्राम के 4 सील पैक प्लास्टिक बोतलो कुल मात्रा 3640 ग्राम को बराबर–बराबर (910–910 ग्राम मूल पैक)अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1924 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज मे लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1924 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. शिखर चन्द जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।खाद्य पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री शिखर चन्द जैन ने मौके पर **मूंगफली तेल श्री पार्वती स्वास्तिक मूल पैक** (**Groundnut Oil Shri Parwati Swastik Origional Pack**) बतौर वारन्टी मैसर्स पार्वती ऑयल मील पडाव अजमेर का खरीद बिल कमांक 4203 दिनांक 07.09.2018 की छायाप्रति प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल श्री पार्वती स्वास्तिक मूल पैक कय करना बताया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./18/2886 दिनांक 06.11.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/465/एक्ट/2018/471 दिनांक 08.10.2018 के अनुसार शिखर चन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **मूंगफली तेल श्री पार्वती स्वास्तिक मूल पैक** (**Groundnut Oil Shri Parwati Swastik Origional Pack**) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण मे अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)**स्तर का **मूंगफली** तेल श्री पार्वती **स्वास्तिक मूल पैक** (**Groundnut Oil Shri Parwati Swastik Origional Pack**) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मूंगफली तेल श्री पार्वती स्वास्तिक मूल पैक** (**Groundnut Oil Shri Parwati Swastik Origional Pack**) का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मूंगफली तेल श्री पार्वती स्वास्तिक मूल पैक** (**Groundnut Oil Shri Parwati Swastik Origional Pack**) का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी श्री शिखर चन्द जैन पुत्र सूरज मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी प्लाट नं0 19 ज्योति कॉलोनी उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0 पर शास्ती 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रू0) अप्रार्थी श्री भगवान दास हरवानी पुत्र रामचन्द्र हरवानी प्रोपरायटर मैसर्स पार्वती ऑयल मील पडाव अजमेर निवासी 1, माँ पार्वती विला, रेलवे मेन्स कॉलोनी अजय नगर सोमलपुर रोड अजमेर राज0 पर शास्ति

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

824

Scanned by CamScanner

(61)

45,000/- (अक्षरे पैतालीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 04.06.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0

Scanned by CamScanner